न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 1/2026
जीसीएमएस संख्याः 2026/1 निर्णय दिनांकः 16-4-26

1. विनोद कुमार पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई निवासी चक 14 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1 कृष्णलाल पुत्र दाताराम जाति कुम्हार निवासी चक 14 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला

–रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला
दिनांक 26–11–2025

उपस्थितः–

1. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री जयचंदलाल सारस्वत व पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 2
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 26–11–2025 जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि मे से रास्ता स्वीकृत किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की चक 14 के. वाई.डी. के मुरबा नं 136/30 के किला नं 1 ता 25 की 6.3225 हैक्टेयर खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि स्थित है जिस पर अपीलान्ट का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर वर्तमान में गेहू व सरसों की फसल काश्त कर रखी है तथा उक्त खातेदारी भूमि के किला नं 25 में मुरबा नं 136/31 के किला नं 5 की सींव पर पक्का मकान बना हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुखाधिकार एवं 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया था जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेंट सं 2 तहसीलदार खाजूवाला को अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया था। उक्त प्रकरण में अपीलांट के उपस्थित होने के पश्चात् रीडर द्वारा ही उक्त प्रकरण में तारीख पेशी बदली जाती रही। पत्रावली में एक महत्वपूर्ण पक्षकार तहसीलदार खाजूवाला के नाम से नोटिस जारी किये जाने का कोई उल्लेख पत्रावली पर दर्ज नहीं किया गया तथा ना ही उसके द्वारा नियमानुसार जबाब फर्द मौका रिपोर्ट आदि प्रस्तुत किये जाने का कोई उल्लेख पत्रावली में किया गया। जबकि अपीलांट इसी विश्वास पर था कि तहसीलदार खाजूवाला द्वारा फर्द मौका तैयार किया जाएगा तो उसको जरिये नोटिस सूचना दी जाकर उसकी उपस्थिति में ही जांच प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। जिससे अपीलान्ट मौके पर ही सही स्थिति की जानकारी दर्ज करवाकर उसी अनुसार अपना जबाब भी प्रस्तुत करेगा। परन्तु ना तो नियमानुसार जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया तथा ना ही संबंधित गिरदावर द्वारा कोई जांच की गई तथा ना ही अपीलांट फर्द मौका की कोई सूचना दी गई। जो कि मेन्डेटरी प्रोविजन है ऐसी स्थिति में समस्त कार्यवाही कानून व नियमों के विपरीत जाकर एकतरफा तौर पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से मिलीभगत करके की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं 2 स्टेट को नोटिस जारी करने, जबाब व जांच प्रतिवेदन हेतु आदेशित करने, नियमानुसार जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है केवल मात्र निर्णय दिनांक 26.11.2025 की ऑर्डरशीट में तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन करने का उल्लेख किया गया है। अतः रिपोर्ट प्राप्ति की ना तो कोई मार्किंग हैं तथा ना ही इसे शामिल मिसल किये जाने का कोई उल्लेख है तथा ना ही उक्त रिपोर्ट धारा 251 ए के अन्तर्गत दिये गये मापदण्डों के आधार पर उचित है, परन्तु इसके बावजूद भी नियमों के

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विपरीत तथा एकतरफा तौर पर बैकडेट की रिपोर्ट को पत्रावली में शामिल कर उसके आधार पर जो निर्णय पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है। पत्रावली में जो हल्का पटवारी की रिपोर्ट है वह जगह–जगह कटिंग करके ऑफिस में बैठकर एकतरफा तौर पर ही बनाई गई है जिसमें किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है तथा ना ही उक्त रिपोर्ट मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार बनाई गई है क्योंकि हल्का पटवारी द्वारा जहां से प्रस्तावित रास्ते के संबंध में रिपोर्ट की गई है, वहां मुरबा नं 136/30 के किला नं 25 में मुरबा नं 136/31 की कि.नं. 5 की सींव पर पक्का मकान बना हुआ है। जिससे यह स्पष्ट था कि कभी भी उक्त भूमि में आवागमन नहीं हुआ ना ही रास्ता स्वीकृत किया जाना संभव है। इस संबंध में रेस्पोडेंट सं 1 द्वारा भी अपने प्रार्थना पत्र में दिनांक 10.06.2024 को रास्ता बंद करने का उल्लेख किया है तथा हल्का पटवारी ने भी रिपोर्ट उक्त भूमि पर काश्त होने का तथ्य अंकित किया है परन्तु उक्त रिपोर्ट में मुरबा नं 136/30 में प्रार्थी अपनी सहमति से आवागमन कर रहे थे जो कि वर्तमान में रास्ता बंद कर दिया गया उक्त विरोधाभासी कथन किस आधार पर लिखे, उसका कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार उक्त सर्वथा गलत व आधारहीन रिपोर्ट के आधार पर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट सं 1/ प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था उसमें 30 वर्षों से निरन्तर उक्त भूमि के आवागमन करने का उल्लेख कर सुखाधिकार के अन्तर्गत भी अनुतोष चाहा गया था। परन्तु ना तो 30 वर्ष से मुरबा नं 136/22 की भूमि उसके नाम से दर्ज होने तथा ना ही मुरबा नं 136/30 से निर्बाध रूप से ही सुखाधिकार के आधार पर अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को अक्षरशः स्वीकार करने की भूल की है। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि मुरबा नं 136/30 में कभी भी आवागमन नहीं हुआ ना ही आवागमन होना संभव है तथा मात्र ही मुरबा नं 136/14 में पक्की सड़क होने के कारण रेस्पोडेंट केवल मुरबा नं 136/14 में रास्ता स्वीकृत करवा सकता है जो कि आबादी तक भी जाता है, उक्त रास्ता हर प्रकार से उचित व निकटतम है। ऐसी स्थिति में रास्ते की अनुकूलता का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक था, परन्तु ना तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई मौका नक्शा पेश हुआ तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण बिन्दू पर कोई निर्णय ही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी सं 1 की अनुपस्थिति में उसे सूचित किये

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बगैर जबाबदेही बंद की गई है तथा दिनांक 26.11.2025 को भी उनकी बहस सुने बिना उसकी गलत उपस्थिति बताकर जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया है तथा अपीलांट की भूमि के बैंक में रहन होने के बावजूद भी हल्का पटवारी द्वारा उसकी रिपोर्ट नहीं की गयी तथा ना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बैंक को पक्षकार बनाया गया तथा ना ही उसकी सहमति ली गयी। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को फायदा पहुँचाने की गर्ज से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड़ अधिकारी, खाजूवाला दिनांक 26–11–2025 निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2025(1) पेज 476, आरआरटी 2024(2) पेज 968 प्रस्तुत किये।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने जवाब बहस में कथन किये कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि चक 14 के वाई डी के मुरब्बा नम्बर 136/22 के किला नम्बर 16 ता 25 तादादी 1.5679 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड है। रेस्पोडेन्ट की उक्त खातेदारी भूमि मे से कोई रास्ता स्वीकृत नही है। चक 14 के वाई डी के मुरब्बा नम्बर 136/46 में आबादी बसी है और मुरब्बा नम्बर 136/30 के किला नम्बर 21 ता 25 में कटानसुदा रास्ता है और मुरब्बा नम्बर 136/30 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता कायम रहा है तथा रिकॉर्ड में अंकन हुआ है और रेस्पोडेन्ट आबादी से मुरब्बा नम्बर 136/38, 30 के किला नम्बर 21 ता 25 के कायम रास्ता से अपने खेत में मुरब्बा नम्बर 136/22 के किला नम्बर 25 में प्रवेश करता है उक्त रास्ता 30 वर्षो से चल रहा है। मुरब्बा नम्बर 136/30 के किला नम्बर 21 की सींव पर वर्षो से पुरानी पुलिया बनी हुई है जो रास्ता कायम और चलने का सबूत है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। रेस्पोडेन्ट को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यक होने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए चक 14 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 136/30 के किला नम्बर 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया। दिनांक 15–10–2024 को अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे जवाब पेश करने के कई अवसर प्रदान किये गये थे इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब नही दिया गया जिस

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर अपीलांट के जवाब बंद कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से मौका की जॉच करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की गई है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity&convinient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

हस्तगत अपील में न्यायालय हाजा को यह विनिश्चय करना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में नियम 69 की पालना में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते का अभाव एवं निकटतम रास्ते के बिन्दुओं पर तार्किक विवेचन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है अथवा नही? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक दृष्टि से सही है अथवा नही?

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह रिपोर्ट माननीय राजस्व मण्डल के परिपत्र दिनांक 05–10–2020 के प्रावधानो के अनुरूप नही बनाई गई है।

तहसीलदार द्वारा पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दी गई। मौका रिपोर्ट पर पटवार हल्का रिपोर्ट अंकित है और इस रिपोर्ट पर अंकित हस्ताक्षर से यह साबित नही होता है कि यह भू–अभिलेख निरीक्षक अथवा उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गई हो। अतः मौका रिपोर्ट नियम 69 के प्रावधानो के तहत तैयार नही की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस मौका रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते का अभाव एवं निकटतम रास्ते के बिन्दुओं पर तार्किक विवेचन किये बिना केवल पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिक दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नही आता है।

6. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, खाजूवाला का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–11–2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुए माननीय राजस्व मण्डल के परिपत्र दिनांक 05–10–2020 के प्रावधानो के अनुरूप नियम 69 की पालना में मौका रिपोर्ट मंगवाते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

7. निर्णय आज दिनांक 16-4-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर